



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2014 के वर्ग नवम् (सत्र 2012-14) के लिए  
पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना**

**विज्ञप्ति संख्या - 96/2012**

सरकार के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 3070 दिनांक 17.11.2012 के आलोक में एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या-90/2012 तथा 92/2012 के क्रम में स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के छात्र/छात्रा/अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाता है कि विलम्ब शुल्क सहित पंजीयन प्रपत्र जमा करने की तिथि 05.12.2012 तक सभी प्रमण्डलों के लिए विस्तारित की जाती है।

2. पंजीयन प्रपत्र जमा करते समय विद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का एक शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा कि “उनके द्वारा वर्ष 2015 के बाद किसी भी परिस्थिति में अपने विद्यालय से स्थापना अनुमति विद्यालय के रूप में पंजीयन कराने हेतु अवधि विस्तार की मांग नहीं करेंगे।”

3. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष के आदेश से,  
ह./-

( सुशील कुमार राय )  
सचिव,

JAC/मा./7648/10/SECY/566/12  
Dt. 17.11.12  
D.O.P : 18.11.12

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।